भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2413

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2024

एससी/एसटी के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

2413. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार हेतु विशिष्ट कल्याणकारी योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त समुदायों के कल्याण के लिए कोई विशेष उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री-दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जो अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विमुक्त जनजातियों, कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों से संबंधित 18 से 45 वर्ष की आयु वाले लाभवंचित लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। पीएम-दक्ष स्कीम का मुख्य उद्देश्य लक्षित समूहों के कौशल को बढ़ाना और उन्हें कामकाजी-रोजगार या स्व-रोजगार में रोजगार योग्य बनाना है।

(ग): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को विभिन्न आजीविका एवं आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती ऋण प्रदान करते हैं।

******